र्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

करण संख्या : 202/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

वण लाल पुत्र मुरली जाति अहीर निवासी ग्राम हाडौता, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती कनक जैन आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू जिला जयपुर ग्रामीण।
2. कौशल्या देवी पत्नी स्व. श्री मंगला
3. कन्हैयालाल पुत्र स्व. श्री मंगला
4. भींवा राम पुत्र स्व. श्री मंगला
5. बनवारी पुत्र स्व. श्री मंगला
6. जीवणी देवी पुत्री स्व. श्री मंगला
7. मनभर देवी पत्नी स्व. श्री मंगला
8. जुगल किशोर पुत्र लच्छूराम

   समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम हाडोता, तहसील चौमू जिला जयपुर, ग्रामीण।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमू जिला जयपुर ग्रामीण
10. उप पंजीयक चौमू जिला जयपुर ग्रामीण।

अप्रार्थीगण

11. बालूराम पुत्र मुरली जाति अहीर, निवासी ग्राम हाडोता, तहसील चौमू जिला जयपुर ग्रामीण।

तरतीबी अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 95/2024 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 78/2024 ब उनवानी बालूराम बनाम कौशल्या देवी व अन्य को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री सुरेश कुमार चाहर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री एस जे गिरी अधिवक्ता अप्रार्थी 2 लगायत 8 की की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28.11.2024

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू के समक्ष प्रकरण संख्या 95/2024 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 78/2024 ब उनवानी बालूराम

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

बनाम कौशल्या देवी व अन्य विचाराधीन है जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई किन्तु प्राप्त नहीं हुई। अप्रार्थी 2 लगायत 8 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.जे. गिरी उपस्थित है ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 16.10.2024 को तारीख पेशी पर प्रार्थी जब कोर्ट में उपस्थित हुआ तो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र में बहस करने को कहा । प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता को सूचना दी । प्रार्थी को अधिवता द्वारा बताया गया कि उक्त पत्रावली वास्ते इंतजार तलबी हेतु नियत है। पीठासीन अधिकारी द्वारा कहा गया कि उक्त पत्रावली उनके निजी मिलने वाले की है । आप आज बहस करते हो तो ठीक है, अन्यथा उक्त पत्रावली को कल की दिनांक 17.10.2024 में नियत कर आपको सुने बिना निर्णय पारित करूंगी। इससे प्रार्थी को यह अन्देशा हो गया कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 पीठासीन अधिकारी से मिले हुये है तथा पहले से ही इसको प्रार्थी के विरूद्व निस्तारित करने का मन बना रखा है जिससे प्रार्थी को अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत कर उक्त प्रकरण में निर्णय अपने पक्ष में करवाना चाहते है। गत चार पांच दिनों से पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठे रहते है । आज तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बात हो चुकी है । उक्त प्रकरण का निर्णय कल की तारीख में हमारे पक्ष में करवा लेंगें। अप्रार्थीगण की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्यकित हो गया कि ये कैसे हुआ ? जब अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गये है तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्याय हित में आवयश्क है। अतः उक्त उनवानी प्रकरणों को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने एक पक्षीय स्थगन प्राप्त कर रखा है इस वजह से प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहता है । येनकेन प्रकारेण प्रकरण को लम्बित रखना चाहता है। इस कारण से काल्पनिक, मिथ्या व मनघढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

7. उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि प्रार्थी ने अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से एक पक्षीय स्थगन प्राप्त किया हुआ है और वही अब पीठासीन अधिकारी से न्याय मिले में शंका जाहिर कर रहा है। जिससे प्रार्थी की प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा स्पष्ट जाहिर होती है। प्रार्थी द्वारा ऐसा किया जाना न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)